

13.10.2023:—आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता श्री देवीलाल भाभू के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र विद्वा व इसके स्थान पर न्या वादपत्र पेश करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए वादपत्र विद्वा फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी अधिवक्ता का उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर न्या वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमीत दाखिल दफतर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़